उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 411/2022 दिनांक/Date : 03 Jun 2022

अधिसूचना

विषय– विज्ञापन संख्या–30दिनांक, 5फरवरी, 2021 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 12–14 सितम्बर, 2021 (6पालियों) को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी की ओर से सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा सहायक लेखाकार व समकक्ष अर्हता के विभिन्न पदों के चयन हेतु विज्ञापन सं0–30दिनांक, 5फरवरी, 2021 को जारी किया गया था। इस चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 पालियों में दिनांक 12 से 14 सितम्बर, 2021 के मध्य किया गया। लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में हिन्दी अनुवाद की त्रुटियों तथा प्रश्न पत्र की कठिनता आदि विषयों को उठाकर परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इसका परिणाम जारी करने की मांग की गई। अभ्यर्थियों के विरोध के कारण इन अभ्यर्थियों के मांग पत्रों में उठाये गये बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। इसमें मुख्य रूप से निम्न 4 बिंदुओं पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया।

1– प्रश्न पत्रों में हिन्दी रूपान्तरण गूगल ट्रांसलेट से किया गया है जिनमें हिन्दी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों को प्रश्न व उनके आशय समझ में नहीं आये व उन्हें इसमें हानि हुई है।

2– प्रश्न पत्र के कठिनाई का स्तर अत्यधिक था व प्रश्न पत्र सी.एस./नेट/जे.आर.एफ के स्तर का बनाया गया था।

3– प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकें व पाठ्य सामग्री उत्तराखण्ड में संचालित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों व सामग्री से बाहर की है।

4– प्रश्न पत्र कठिन एवं विश्लेषणात्क(Analytical) प्रश्नों की संख्या काफी अधिक है जिससे प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इन चार बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया व इस प्रक्रिया में परीक्षा की 6 पालियों के 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का अध्ययन किया जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन या अन्य आपत्तियाँ दी गई थीं। प्रश्नों की त्रुटियों को विशेषज्ञों द्वारा माइनर, मॉडरेट, तथा सिवियर तीन श्रेणियों में

बांटा गया। 400 प्रश्नों में से 86 प्रश्न अनुवाद के मामले में मॉडरेट तथा सिवियर श्रेणी में चिह्नित किया गया। विषय—विशेषज्ञों द्वारा यह परामर्श दिया गया माइनर व मॉडरेट श्रेणी के प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवाद से प्रश्नों एवं उसके सही उत्तर विकल्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है साथ ही गम्भीर श्रेणी के 45 प्रश्नों को उचित न मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। विषय—विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाईन प्राप्त एक प्रश्न को भी डिलीट करने का सुझाव दिया गया।

5— प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के सम्बन्ध में विषय—विशेषज्ञों द्वारा इसे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर का पाया गया। विषय—विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्रों में दिये गये प्रश्नों से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न माध्यमों पर सरलता से उपलब्ध है। कठिन व विश्लेषणात्क प्रश्नों की अधिकता के बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया कि 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ही कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के हैं जो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल हैं। इस मामले पर आयोग की बैठक दिनांक 23/5/2022 में विस्तृत विचार—विमर्श के उपरांत बहुमत व निम्न आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

1— इस परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद परीक्षा निरस्तीकरण की मांग की गई थी। इसका प्रमुख कारण हिन्दी अनुवाद में त्रुटियों को बताया गया। अनुवाद की त्रुटि को विषय विशेषज्ञों द्वारा भी स्वीकार किया गया व हिन्दी अनुवाद के मॉडरेट व सीवियर (गंभीर) श्रेणी में 86 त्रुटियों को चिह्नित किया गया।

2—उत्तराखण्ड हिंदी भाषी राज्य है व प्रदेश में पठन—पाठन की सामान्य भाषा भी हिन्दी है। ऐसे में हिंदी भाषा की इतनी त्रुटियां अभ्यर्थियों के एक बड़े वर्ग के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा कर सकती है तथा उन्हें प्रश्नों को समझने में बाधा होना स्वाभाविक है।

3— आयोग में परीक्षा की गुणवत्ता के लिए सावधानियाँ अति आवश्यक हैं, ऐसे में त्रुटियों को एक सीमा में ही स्वीकार करना युक्ति—युक्त होगा। वर्तमान मामले में इन त्रुटियों को इस सीमा से अधिक समझा गया।

4— इस मामले में परीक्षा की शुचिता बाधित होने का कोई विषय वर्तमान तक नहीं आया है किंतु इन त्रुटियों से आयोग की छवि पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में इन त्रुटियों को अनदेखा किया जाना उचित नहीं है।

5— हिन्दी अनुवाद की इन कठिनाईयों से उन अभ्यर्थियों को तुलनात्मक रूप से कठिनाई हुई है, जिन्होंने उपाधि हिन्दी भाषा से प्राप्त की है एवं अंग्रेजी माध्यम से डिग्री प्राप्त छात्रों को इससे लाभ हुआ है। सामान्यतया हिंदी व अंग्रजी अनुवाद प्रश्नों में जहां विसंगति होगी वहां पर अंग्रेजी अनुवाद को सही माने जाने का नियम आयोग की परीक्षाओं के लिए निर्धारित है तथापि इतनी मात्रा में अनुवाद की त्रुटियां स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6– यह प्रश्न पत्र पर्याप्त सावधानी से नहीं बनाया गया एवं यह प्रक्रिया आयोग की प्रतिष्ठा के लिए उचित नहीं है। चूंकि आयोग अपनी लिखित परीक्षाओं की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अनुवाद के समय शब्दों व तकनीकी टर्मिनोलॉजी का या तो हिन्दी अनुवाद किया जाना चाहिए या उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए, किंतु इस परीक्षा में बहुत से प्रश्नों में हिन्दी का न तो सही अनुवाद है एवं न ही अंग्रेजी शब्दावली को देवनागरी लिपि में लिखा गया है।

आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप विज्ञापन संख्या–30, दिनांक 5फरवरी, 2021 के सापेक्ष चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 12 सितम्बर, 2021 से 14 सितम्बर, 2021 के मध्य आयोजित सभी 6 पालियों की परीक्षा निरस्त की जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा यथा शीघ्र पुनः आयोजित की जायेगी एवं पुनर्परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था। पुनर्परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वैबसाईट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

2–समस्त अभ्यर्थियों व इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को सूचित किये जाने हेतु वैबसाईट में प्रकाशित

3–गार्ड फाईल।

(संतोष बडोनी)
सचिव